अध्याय-I

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

यह अध्याय राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश, राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को इंगित करने वाले अनुपातों एवं निवेश पर प्रतिफल के संबंध में वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल निवेश का बड़ा हिस्सा (92.51 प्रतिशत) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम्स को सब्सिडी बंद होने के कारण राजकीय उपक्रमों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं 15 राजकीय उपक्रमों की निवल संपत्ति पूर्ण रुप से क्षरण हो गई क्योंकि उनकी संचित हानियां उनके पूंजी निवेश से अधिक हो गई थी।

परिचय

1.1 यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) एवं संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधानों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कंपनी

- एक कंपनी जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है, एवं इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है, जो कि सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। {जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

- किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। {जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014) कंपनियों की (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 द्वारा परिभाषित किया गया है।}

सांविधिक निगम

- संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान के अंतर्गत स्थापित निगम।

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वर्ष 2020-21 (या पूर्व वर्षों के जिन्हे चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के एकमात्र लेखापरीक्षा/पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों में संशोधन के साथ-साथ जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों[10] के प्रभाव को भी इस प्रतिवेदन के **अध्याय**–II में सम्मिलित किया गया है।

प्रतिवेदन में निगमित अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना एवं राजकीय उपक्रमों में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति भी क्रमशः **अध्याय**–III एवं **अध्याय**–IV में दर्शायी गई है।

अधिदेश

1.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखपरीक्षा सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) सपठित सीएजी (कर्तव्य, शक्ति, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखों की लेखापरीक्षा किस प्रकार से की जानी है इस संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के पास पूरक लेखापरीक्षा कराने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधान के अंतर्गत सीएजी को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अथवा विधानों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

1.3 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राजकीय उपक्रमों के कामकाज पर नियंत्रण करती है। इन राजकीय उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल राजकीय उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी भी करता है। इसके लिए सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394/395 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा अथवा सांविधिक निगमों के संबंध में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के

10 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिए गए/जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर।

समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम,1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत की सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

1.4 वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में, लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्यक्षेत्र में 45 राजकीय उपक्रम विद्यमान थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, एक नई निगमित (फरवरी 2021) सरकारी कंपनी यथा सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड[11] (एसटीएसएल) लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्यक्षेत्र में आई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (41) में प्रावधान है कि एक कंपनी, जिसे एक वर्ष के 1 जनवरी को या उसके बाद निगमित किया गया है,के संबंध में वित्तीय वर्ष का अर्थ है आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि। इसलिए, एसटीएसएल के प्रथम वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तैयार किए जाने हैं एवं तत्पश्चात लेखापरीक्षा की जानी है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य-क्षेत्र में राजकीय उपक्रमों की संख्या 45 थी, जिसमें 38 सरकारी कंपनियां, तीन सांविधिक निगम[12] एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियां[13] सम्मिलित थी, जैसा कि **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2020-21 में सीएजी के कार्यक्षेत्र में लेखापरीक्षा के लिए राजकीय उपक्रम	
सरकारी कंपनियाँ	**38**
सांविधिक निगम	**03**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	**04**
कुल राजकीय उपक्रम	**45**

कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। साथ ही, सरकारी कंपनियों में सम्मिलित तीन अकार्यरत कंपनियां[14] वह है, जिन्होंने गत नौ से 21 वर्षों से अपने संचालनों को बंद कर दिया था। इन अकार्यरत कंपनियों के निवेश एवं परिसमापन की स्थिति पर **अनुच्छेद 1.21** में चर्चा की गई है।

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के अतिरिक्त) को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर एवं टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश **तालिका 1.1** में

---

11 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) की एक सहायक कंपनी

12 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)।

13 अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एएससीएल), जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल), कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल)।

14 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल), राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल)

दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 2020-21 के दौरान, राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	राजकीय उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी में टर्नओवर का अंश
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	15	72166.24	7.12
2	उद्योग एवं व्यापार	6	3078.43	0.30
3	वित्त	3	6978.59	0.69
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	4	963.18	0.09
5	संस्कृति एवं पर्यटन	2	62.80	0.01
6	परिवहन	2	1688.95	0.17
7	शहरी विकास	2	73.54	0.01
8	अन्य	7	1974.71	0.19
	कुल	**41**	**86986.44**	**8.58**

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए, इन 41 राजकीय उपक्रमों का टर्नओवर (₹ 86,986.44 करोड़), वर्ष के लिए राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 10,13,323 करोड़) का 8.58 प्रतिशत था। जीएसडीपी में टर्नओवर का सबसे अधिक अंश ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र से था, जिसका योगदान 7.12 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों का टर्नओवर शून्य था।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

1.5 सीएजी, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 42 कंपनियों (अर्थात 38 सरकारी कंपनियाँ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियाँ) के वार्षिक लेखों की पूरक लेखा परीक्षा करते है। तीन सांविधिक निगमों के संबंध में, सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के संबंध में संबंधित विधानों के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं तत्पश्चात, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राजकीय उपक्रमों के 30 नवंबर, 2021[15] तक प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों के आधार पर, इस प्रतिवेदन में इन 45 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को

15 2020-21 के वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए बढ़ाई गई नियत तिथि।

सम्मिलित किया गया है। राजकीय उपक्रमों की प्रकृति एवं वित्तीय विवरणों की स्थिति **तालिका 1.2** में इंगित की गई है:

तालिका 1.2: प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

राजकीय उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि[16] के दौरान प्राप्त हुये				राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 नवम्बर 2021 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) थे।
		2020-21 के लिये लेखे	2019-20 के लिये लेखे	2018-19 के लेखे	कुल	
सरकारी कंपनियां	38	25	5	2[17]	**32**	**13 (30)**
सांविधिक निगम	3	1	1	-	**2**	**2 (2)**
कुल	**41**	**26**	**6**	**2**	**34**	**15 (32)**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	4	-	-	-	**-**	**4 (5)**
कुल	**45**	**26**	**6**	**2**	**34**	**19 (37)**

स्रोत:30 नवंबर 2021 तक प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

कंपनी-वार लेखों की बकाया स्थिति को **अनुच्छेद 1.2** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम)	
राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या	**41**[18]
राजकीय उपक्रम सम्मिलित	**41**
प्रदत्त पूँजी (41 राजकीय उपक्रम)	**₹ 51,787.33 करोड़**
दीर्घावधि ऋण (41 राजकीय उपक्रम)	**₹ 1,10,201.27 करोड़**
शुद्ध लाभ (25 राजकीय उपक्रम)	**₹ 1,232.32 करोड़**
शुद्ध हानि (13 राजकीय उपक्रम)	**₹ 4,046.23 करोड़**
शून्य लाभ/हानि (3 राजकीय उपक्रम)[19]	
घोषित लाभांश/भुगतान (7 राजकीय उपक्रम)	**₹ 66.08 करोड़**
कुल परिसम्पत्तियां (41 राजकीय उपक्रम)	**₹ 2,15,779.56 करोड़**

16 जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक।

17 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एंव ढांचागत लिमिटेड के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वित्तीय विवरण।

18 सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड को छोड़कर जो 2021-22 से ऑडिट के लिए देय था।

19 छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

निवल मूल्य (41 राजकीय उपक्रम)	**(-) ₹ 45,714.26 करोड़**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	
राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या	**4**
राजकीय उपक्रम सम्मिलित	**4**
प्रदत्त पूँजी	**₹ 600.01 करोड़**
दीर्घावधि ऋण	**शून्य**
शुद्ध लाभ (एक राजकीय उपक्रम)	**₹ 0.05 करोड़**
शुद्ध हानि (एक राजकीय उपक्रम)	**₹ 0.02 करोड़**
शून्य लाभ/हानि (2 राजकीय उपक्रम)[20]	
घोषित लाभांश/भुगतान	**शून्य**
कुल परिसंपत्ति (4 राजकीय उपक्रम)	**₹ 1363.28 करोड़**
निवल मूल्य (4 राजकीय उपक्रम)	**₹ 621.21 करोड़**

स्रोतः 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त खातों *एवं राजकीय उपक्रमों* द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित *सूचना।*

राजकीय उपक्रमों में निवेश

1.6 राजकीय उपक्रमों में निवेश में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। राज्य सरकार राजकीय उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 45 राजकीय उपक्रमों में से, 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों को छोड़कर) के निवेश पर चर्चा **अनुच्छेद 1.7 से 1.17** में की गई है ।

निष्पादित कार्यों/सम्मिलित गतिविधियों के आधार पर, इन राजकीय उपक्रमों को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को इन राजकीय उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.3 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	राजकीय उपक्रमों की संख्या	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	15	48394.41	101458.88	149853.29
2	उद्योग एवं व्यापार	6	521.49	1774.42	2295.91

20 अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ।

3	वित्त	3	272.39	0.31	272.70
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	4	71.45	300.99	372.44
5	संस्कृति एवं पर्यटन	2	24.11	77.20	101.31
6	परिवहन	2	643.45	909.52	1552.97
7	शहरी विकास	2	1742.71	2723.95	4466.66
8	अन्य	7	117.32	2956.00	3073.32
	कुल	**41**	**51787.33**	**110201.27**	**161988.60**

स्रोतः राजकीय उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के निवेश पर चर्चा **अनुच्छेद 1.18** में की गई है।

सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में हिस्सेदारी

1.7 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि हेतु 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश की राशि **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019[21]			31 मार्च 2020			31 मार्च 2021		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	48435.56	20499.93	68935.49	50531.10	7618.37	58149.47	50934.59	7631.07	58565.66
राजकीय उपक्रम	613.13	0.43	613.56	613.13	13.43	626.56	613.13	0.43	613.56
केन्द्र सरकार	31.02	0	31.02	31.02	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02
अन्य[22]	208.59	91292.43	91501.45	208.59	98572.95	98781.54	208.59	102569.77	102778.36
कुल	**49288.30**	**111792.79**	**161081.52**	**51383.84**	**106204.75**	**157588.59**	**51787.33**	**110201.27**	**161988.60**
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	98.27	18.34	42.80	98.34	7.17	36.90	98.35	6.92	36.15

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश में 2019-20 में कुल निवेश की तुलना में 2020-21 के दौरान ₹ 4,400.01 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें राज्य सरकार द्वारा ₹ 403.49 करोड़ की अंशपूँजी का निवेश और वर्ष के दौरान लंबी अवधि के ऋणों में ₹ 3,996.52 करोड़ की वृद्धि शामिल है।

21 वर्ष 2019-20 के दौरान बंद हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2018-19 के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं।

22 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, वित्तीय संस्थान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आदि शामिल हैं।

31 मार्च 2021 को कुल निवेश का 92.51 प्रतिशत (₹ 1,49,853.29 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के अन्त में इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश के स्त्रोतों का वर्ष-वार वर्गीकरण **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: राजकीय उपक्रमों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान कुल निवेश के स्त्रोत

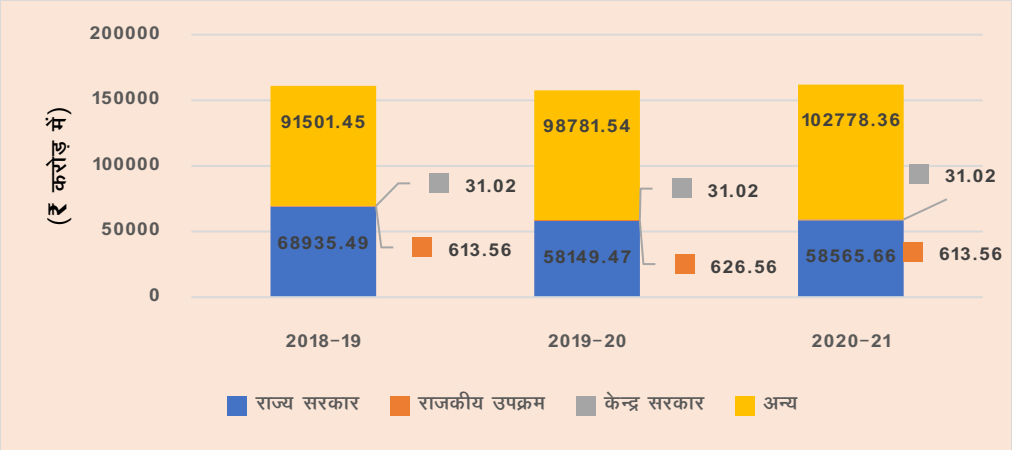

स्त्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

पूँजी में निवेश

1.8 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान, इन 41 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी के रूप में ₹ 6,321.33 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था। इन राजकीय उपक्रमों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी का वर्षवार विवरण **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: राज्य सरकार द्वारा 2018-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश

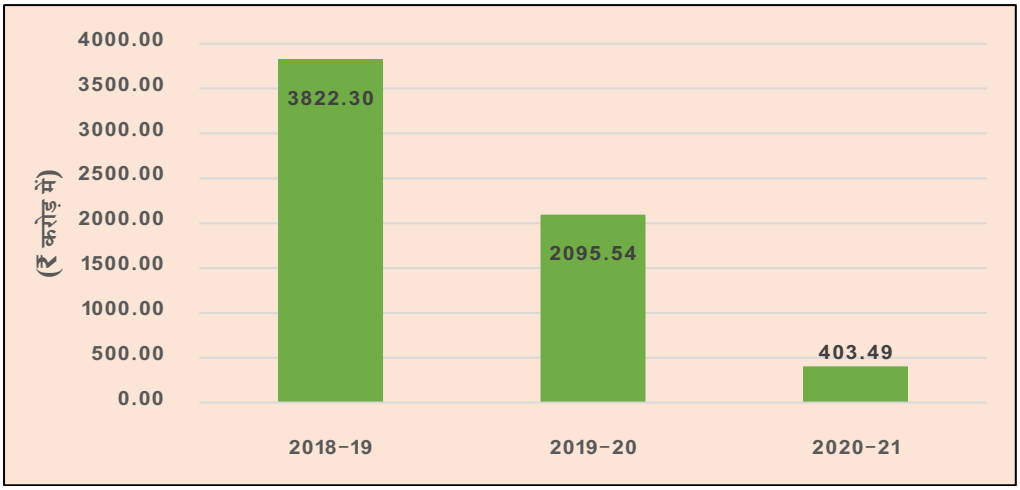

स्त्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में बहुत कम था। गत वर्षों में पूँजी निवेश अधिक था क्योंकि राज्य सरकार ने 2018-19 में ₹ 3000 करोड़ एवं 2019-20 में ₹ 905.50 करोड़ के तीन राज्य डिस्कॉम्स[23] के ऋणों को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत पूँजी में परिवर्तित किया था । 2020-21 के दौरान ऐसा कोई रूपांतरण नहीं हुआ क्योंकि उदय केवल 2019-20 तक प्रभावी था ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजी पूर्णतया ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में शेयरों के निर्गम के माध्यम से निवेश की गयी थी।

2020-21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित पूँजी को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजी निवेश

राजकीय उपक्रमों का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	114.92
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड(जेडीवीवीएनएल)	148.97
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	106.32
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	33.28
कुल	**403.49**

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

सरकारी कंपनियों एवं निगमों को दिया गया ऋण

1.9 31 मार्च 2021 को राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में समस्त स्रोतों से कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 1,10,201.27 करोड़ था। 2020-21 के दौरान, राजकीय उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों में ₹ 3996.52 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2021 को राजकीय उपक्रमों के कुल ऋणों में, राज्य सरकार से ऋण ₹ 7631.07 करोड़ (6.92 प्रतिशत) था।

राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

23 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)।

चार्ट 1.3: राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण

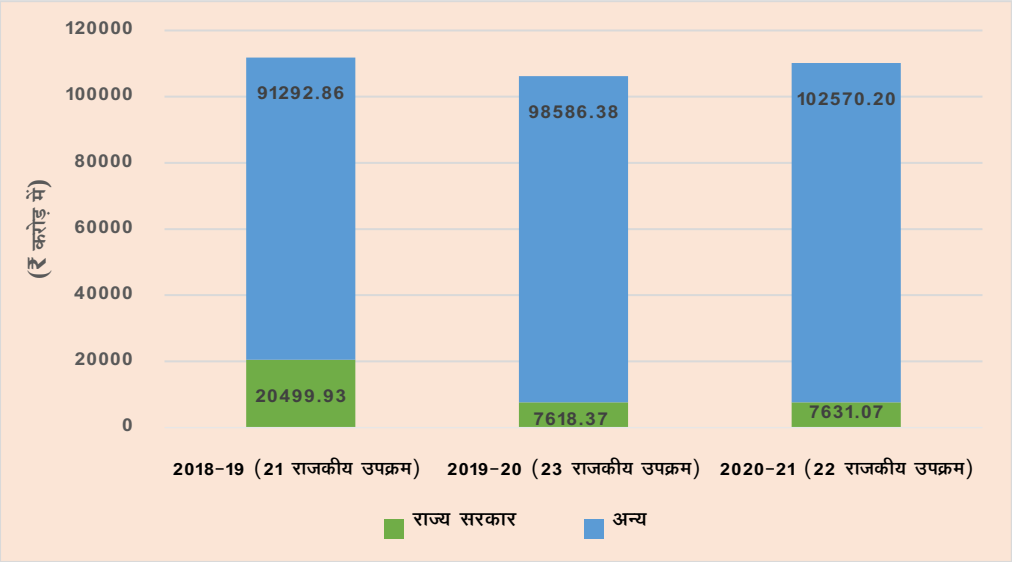

यह देखा जा सकता है कि गत तीन वर्षों के दौरान अन्य द्वारा दिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी जबकि राज्य सरकार के ऋणों में इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण कमी आयी थी।

ऋणों का विश्लेषण

1.10 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋण दायित्व थे, राज्य सरकार, बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआईज) के ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की राजकीय उपक्रमों की क्षमता के आंकलन करने हेतु विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात, एवं कुल परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक ऋण से अनुपात के माध्यम से किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण का भी आंकलन किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.11 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर बकाया ऋण था, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	राजकीय उपक्रमों[24] की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2018-19	28	13287.91	16021.81	18	10[25]
2019-20	28	14534.03	18191.58	18	10[26]
2020-21	29	15199.60	12716.54	17	12[27]

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या 2018-19 में 18 से घटकर 2020-21 में 17 हो गई थी।

ब्याज शुल्क का शोधन एवं मूलधन का पुर्नभुगतान

1.12 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2020-21 के दौरान ऋणों का दायित्व था, में से छः राजकीय उपक्रमों ने उनके नवीनतम अंतिम रूप खातों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार अपने ऋणों (मूलधन/ब्याज प्रभार) के शोधन में चूक की थी, जैसा कि **तालिका 1.7** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.7: राजकीय उपक्रम, जिन्होंने मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज प्रभार के शोधन में चूक की

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	ऋण का स्रोत	चूक की राशि
1	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	बैंक/वित्तीय संस्था	5303.43
2	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड		39.74
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	राजस्थान सरकार	0.75
4	जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड		163.65
5	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड		3.52
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		20.00

स्रोतःसांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

24 राजकीय उपक्रम, जो नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों में वित्तीय लागत (अल्प कालिक ऋणों के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋणों से संबंधित) रखते थे।

25 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

26 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएफसी, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

27 आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसी, जेवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी, आरएसएआईसीएल।

छः चूककर्ता राजकीय उपक्रमों में से, आरआरवीयूएनएल ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की सारभूत राशि के लिए चूक की। यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 को, आरआरवीयूएनएल की कुल चालू संपत्ति (₹ 29964.80 करोड़) का 86.21 प्रतिशत (₹ 25831.67 करोड़) तीन राज्य डिस्कॉम[28] से वसूली योग्य विद्युत बकाया से संबंधित था। ये वसूली योग्य विद्युत बकाया वर्ष 2020-21 के परिचालन राजस्व (यथा विद्युत के विक्रय से राजस्व) का 1.67 गुना था। परिणामस्वरुप, राजकीय उपक्रम को तरलता की कमी का सामना करना पड़ा एवं इसलिए, समय पर अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सका।

तरलता विश्लेषण

1.13 चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक कंपनी की अल्पकालिक दायित्वों या उन देय राशियों का भुगतान करने की क्षमता को मापता है जो एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हैं। यह कंपनी की सभी चालू परिसंपत्तियों की तुलना उसके चालू दायित्वों से करता है। यह कंपनी की अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता का एक उपयोगी माप है। एक से कम चालू अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के अल्पकालिक दायित्व उसकी अल्पकालिक परिसंपत्तियों से अधिक हैं एवं यह अपनी उपलब्ध चालू परिसंपत्तियों के साथ इस तरह के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। एक से अधिक चालू अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक संपत्ति है। चालू अनुपात का सूत्र नीचे दिया गया है:

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू संपत्तियां}}{\text{चालू दायित्व}}$$

पिछले तीन वर्षों की अवधि 2018-19 से 2020-21 के अंत में 41 राजकीय उपक्रमों के चालू अनुपात का क्षेत्रवार विवरण **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

28 जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल और एवीवीएनएल।

चार्ट 1.4: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों में क्षेत्रवार चालू अनुपात

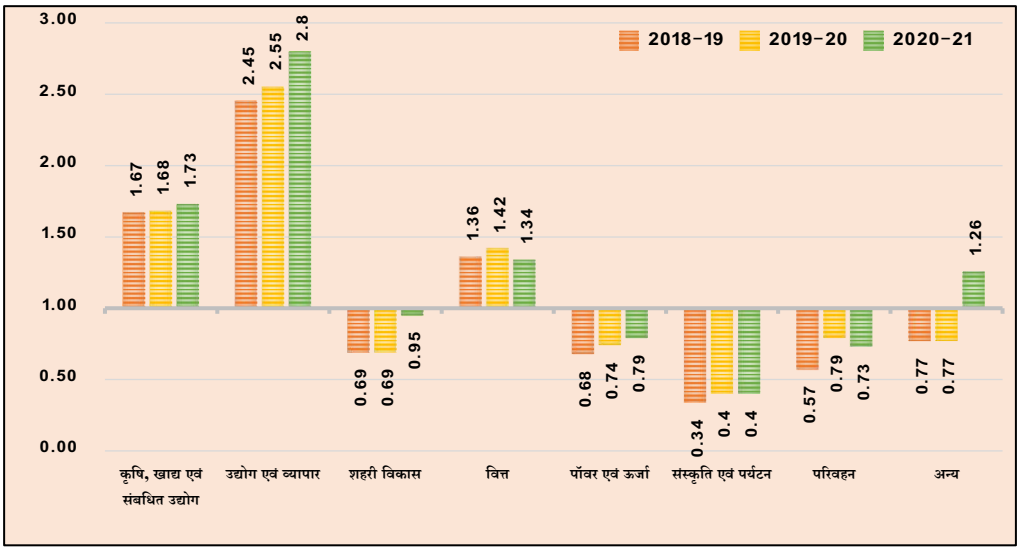

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि आठ क्षेत्रों में से, 2018-20 के दौरान पांच क्षेत्रों एवं 2020-21 के दौरान चार क्षेत्रों का चालू अनुपात एक से कम था। इसने इंगित किया कि ये क्षेत्र लगातार वित्तीय संकट में हैं, विशेषतया तरलता के मामले में। 2018-20 के दौरान दो क्षेत्रों एवं 2020-21 के दौरान तीन क्षेत्रों का चालू अनुपात एक से अधिक था। साथ ही, एक क्षेत्र यथा उद्योग एवं व्यापार का चालू अनुपात एक से सारभूत रूप से अधिक था जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र ने आवश्यकता से अधिक तरलता बनाए रखी।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

1.14 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर चार राजकीय उपक्रमों के समक्ष ₹ 167.20 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम के लिये बकाया ब्याज	1 वर्ष से 3 वर्षो के लिये बकाया ब्याज	3 वर्षो से अधिक के लिये बकाया ब्याज
1	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	163.65	26.60	79.79	57.26

2	राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड[29]	0.79	0.04	0.12	0.63
3	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड[30]	0.50	0.00	0.00	0.50
4	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2.26	2.26	0.00	0.00
	कुल	**167.20**	**28.90**	**79.91**	**58.39**

स्रोतः राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि बकाया ब्याज का प्रमुख हिस्सा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित था। साथ ही, इस राजकीय उपक्रम पर बकाया ब्याज लगातार एकत्रित हो रहा था क्योंकि राज्य सरकार के ऋण पर उपार्जित ब्याज के पेटे कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था।

ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता

1.15 कुल परिसंपतियो से दीर्घावधि ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधक्षम रह सकती है। शोधक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके दीर्घावधि ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। कुल 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर ऋण देनदारी थी, में से 22 राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को बकाया दीर्घावधि ऋण थे। इन 22 राजकीय उपक्रमों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति

(₹ करोड़ में)

राजकीय उपक्रम के प्रकार	धनात्मक व्याप्ति				ऋणात्मक व्याप्ति			
	राजकीय उपक्रम की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसंपत्तियाँ	ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राजकीय उपक्रम की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	कुल परिसंपत्तियाँ	ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत
सरकारी कंपनियां	18	107924.40	185829.20	172.18	1	46.61	4.75	10.19
सांविधिक निगम	3	1895.24	15503.69	818.03	-	-	-	-

स्त्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

22 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरएसएआईसीएल), जो कि एक

29 राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों को देखते हुए ब्याज और मूलधन की अदायगी टाल दी।

30 आरएसजीएसएमएल में विलय की गई कंपनी की राशि जिसकी ब्याज माफी के लिए आवेदन राज्य सरकार के पास लंबित है।

अकार्यरत राजकीय उपक्रम था, में कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

अन्य बजटीय सहायता

1.16 पूँजी निवेश एवं दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान/सब्सिडी के रूप में राजकीय उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राजकीय उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी भी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राजकीय उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। 31 मार्च 2021 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिये, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों के संबंध में अनुदान/सब्सिडी एवं गारंटी के पेटे बजटीय सहायता का सारांशित विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया हैं:

तालिका 1.10: राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि
अनुदान/सब्सिडी	11	22012.86	12	23923.10	11	15449.56
निर्गमित गारंटियाँ	4	21671.76	7	13298.44	6	15721.00
वर्ष के अंत में गारंटी प्रतिबद्धता	8	60926.16	10	69536.24	9	75335.99

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

2019-20 में उदय के पूर्ण होने एवं इसके तहत राज्य डिस्कॉम्स को मिलने वाली सब्सिडी 2020-21 से बंद करने के कारण, 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में गत वर्षों की तुलना में अत्यन्त गिरावट हुई। साथ ही, 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉम्स को दी गई टैरिफ सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा, गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2020-21 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा ₹ 722.72 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 421.54 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

वर्ष 2020-21 के अंत में राजकीय उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार की गारंटी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी क्योंकि यह राज्य सरकार की 2020-21 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 134307.88 करोड़)[31] का 56.09 प्रतिशत परिकलित की गई थी।

बकाया लेखों वाले राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.17 राजकीय उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागो पर हैं। संबंधित विभागो को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

19 राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखों को 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013, आरएसआरटीसी नियम 1964 एवं आरएसडब्ल्यूसी नियम 1975 में नियत है, में से पाँच राजकीय उपक्रमों को राज्य सरकार ने, जिस अवधि के दौरान इन राजकीय उपक्रमों के लेखे बकाया थे, ₹ 951.35 करोड़ (ऋणः₹ 11.70 करोड़, सब्सिडीः ₹ 939.65 करोड़) प्रदान किये। राजकीय उपक्रम वार राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का विवरण, जिस अवधि के दौरान लेखे बकाया थे, **अनुबंध 1.2** में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय उचित रूप से लेखांकित किये गये थे एवं उद्देश्य, जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन राजकीय उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

1.18 31 मार्च 2021 को राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था। पूँजी राज्य सरकार एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश की गई थी। इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में 2020-21 के दौरान कोई पूँजी निवेश नहीं हुआ था। इसके अलावा, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से किसी में भी 31 मार्च 2021 को दीर्घावधि ऋणों का दायित्व नहीं था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.19 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित राजकीय उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 को, 36 राजकीय उपक्रमों (नौ सहायक कंपनियों को

---

31 राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट के अनुसार।

छोड़कर) में से 19 राजकीय उपक्रमों में वित्त लेखों में दर्शाये गये पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के आंकड़ों में एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़ों में अन्तर था, जैसाकि **अनुबंध 1.3** में दर्शाया गया हैं। 31 मार्च 2021 को ऐसे अंतरों की सांरांशित स्थिति तालिका **1.11** में वर्णित हैः

तालिका 1.11: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं 19 राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखों के अनुसार राशि
पूँजी	49262.73	49294.11
ऋण	6279.54	6316.64
बकाया गारंटिया	75335.99	74765.89

स्रोतः राजकीय उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

राजकीय उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.20 वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

अकार्यरत राजकीय उपक्रमों का समापन

1.21 तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां, जिन्होने गत नौ से 21 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था, में 31 मार्च 2021 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़[32] था। इन तीन अकार्यरत कंपनियों में से एक (आरएसएआईसीएल) परिसमापन की प्रक्रियाधीन है, जैसा कि सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य दो कंपनियां गत नौ से 10 वर्षों से अकार्यरत है। सरकार को इन कंपनियों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।

राजकीय उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल

1.22 30 नवम्बर 2021 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए अपने लेखों के अनुसार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **अनुबंध 1.1** में दर्शाये गये हैं।

राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

1.23 41 राजकीय उपक्रमों में से, 25 राजकीय उपक्रमों ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा 2020-21 में

32 आरएसएआईसीएल (₹ 22.28 करोड़), आरसीएसीएल (₹ 4.49 करोड़) एवं आरजेवीएनएल (₹ 1.27 करोड़)

अर्जित लाभ, 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 3843.10 करोड़) की तुलना में घटकर ₹ 1232.32 करोड़ रह गया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों के लाभ में गिरावट मुख्य रूप से उदय के तहत राज्य डिस्कॉम्स को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने के कारण थी क्योंकि यह योजना केवल 2019-20 तक प्रभावी थी। राजकीय उपक्रमों की संख्या जिन्होने 2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया को **चार्ट 1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या

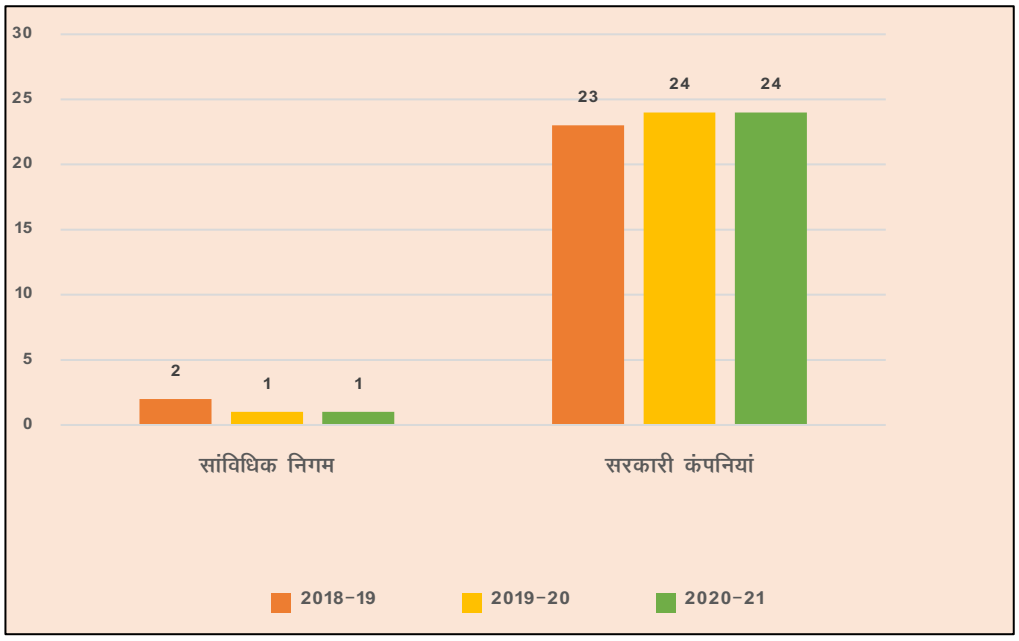

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्होने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, नीचे **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: राजकीय उपक्रम जिन्होने 2020-21 में ₹ 100 करोड़ या अधिक लाभ अर्जित किया

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	अर्जित लाभ
1	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	530.91
2	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	175.73
3	राजस्थान राज्य खान एंड खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल)	137.35
4	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल)	105.39

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले चार राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से उजागर हुआ है कि:

- रीको एवं आरएसएमएमएल बाजार में अपने एकाधिकार लाभ के कारण मुनाफा दर्ज कर सके। रीको राज्य की मुख्य एजेंसी है जिसे लागत तथा उपरिव्यय प्रभारों पर

औद्योगिक/संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि विकसित करने एवं आवंटित करने का अधिकार है। वर्ष 2020-21 के लिए आधारभूत संरचना गतिविधि से लाभ का प्रतिशत कंपनी के कुल लाभ का 95.59 प्रतिशत था। इसके अलावा, आरएसएमएमएल ने रॉक फॉस्फेट, जिस खनिज के लिए कंपनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत योगदान देता है, के विक्रय से सारभूत राजस्व अर्जित किया। रॉक फॉस्फेट खनन से लाभ का हिस्सा वर्ष के कुल लाभ का 46 प्रतिशत था

- राज्य सरकार के निर्णय (सितंबर 2021) के अनुपालना में, ₹ 491.71 करोड़ का पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) जिसे आरआरवीयूएनएल द्वारा एवीवीएनएल से 2019-20 एवं 2020-21 के ऊर्जा बिलों के लिए वसूला गया था, वापस ले लिया गया था। इसने 2020-21 में एवीवीएनएल के कार्यशील परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है क्योंकि कंपनी जो अन्यथा नुकसान दर्ज करती, इस निर्णय के कारण शीर्ष लाभ कमाने वाले राजकीय उपक्रम में स्थानांतरित हो गई।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2020-21 के दौरान ₹ 0.05 करोड़ का नाममात्र का लाभ कमाया।

राजकीय उपक्रमों में लाभांश का भुगतान

1.24 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले राजकीय उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

45 राजकीय उपक्रमों में से, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों मे से किसी ने भी 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

शेष 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) के प्रकरण में, राज्य सरकार ने केवल 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश किया था। इन 32 राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए पूँजी निवेश किया गया था, से संबंधित लाभांश का भुगतान **तालिका 1.13** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.13: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल राजकीय उपक्रम जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया गया था		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रम		राजकीय उपक्रम जिन्होनें वर्ष के दौरान द्वारा लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	राजकीय उपक्रम की संख्या	पूँजी निवेश	राजकीय उपक्रम की संख्या	पूँजी निवेश की राशि	राजकीय उपक्रम की संख्या	राजकीय उपक्रम द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2018-19	32	48435.56	23	41800.32	7[33]	66.11	0.1582
2019-20	32	50531.10	23	48777.36	5[34]	43.75	0.0897
2020-21	32	50934.59	21	16038.85	7[35]	66.08	0.4120

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिन्होनें लाभ अर्जित किया, 21 से 23 के मध्य थी, जबकि राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या मात्र पाँच एवं सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2018-19 से 2020-21 के दौरान मात्र 0.09 प्रतिशत एवं 0.41 प्रतिशत के मध्य रहा था।

इन सात राजकीय उपक्रमों में से, जिन्होनें 2020-21 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया, दो[36] राजकीय उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि पाँच[37] राजकीय उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.25 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा राजकीय उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभो के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी राजकीय उपक्रम के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं अंशधारको की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें है।

---

33 आरएसएमएम, रीको, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल, आरएसआरडीसीसीएल एवं आरआरईसीएल।

34 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरपीआईडीसीएल।

35 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल, आरपीआईडीसीएल।

36 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी।

37 आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल, आरपीआईडीसीएल।

राजकीय उपक्रम के अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो राजकीय उपक्रम के हितधारको हेतु कितना शेष रहेगा। अंशधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि राजकीय उपक्रम के पास अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए पर्याप्त परिसम्पतियाँ है जबकि ऋणात्मक अंशधारको की निधि का अर्थ है कि देयताएँ परिसम्पतियों से अधिक हैं।

आरओई की गणना 32 राजकीय उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए इन राजकीय उपक्रमों के अंशधारको की निधि एवं आरओई का विवरण **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, के संबंध में पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिनमे आरओई की गणना की गई	वर्ष के लिए शुद्ध आय[38] (₹ करोड़ में)	अंशधारको की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2018-19	32	2893.35	-47734.69	-
2019-20	32	3550.08	-42199.81	-
2020-21	32	-2504.27	-44456.25	-

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के लिए इन 32 राजकीय उपक्रमों की शुद्ध आय 2019-20 में ₹ 3550.08 करोड़ से सारभूत रूप से घटकर 2020-21 में (-)₹ 2504.27 करोड़ हो गई। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, शुद्ध आय धनात्मक थी, तथापि, अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। साथ ही, 2020-21 के दौरान, शुद्ध आय के साथ-साथ अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूंकि, सभी वर्षों के लिए अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इसलिए इन राजकीय उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, अंशधारकों की ऋणात्मक निधि ने इंगित किया कि इन राजकीय उपक्रमों की देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो गई थीं।

2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों के क्षेत्रवार आरओई को **तालिका 1.15** में दिया गया है:

38 आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार है।

तालिका 1.15: राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई

(प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1	उद्योग एवं व्यापार (5)	8.20	5.09	13.29
2	वित्त (3)	7.68	13.44	14.50
3	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग (4)	21.36	17.32	17.70
4	अन्य (7)	17.57	16.18	11.18

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

साथ ही ,तीन क्षेत्रों[39] के आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि संचित हानियो के कारण इन क्षेत्रों की समस्त पूँजी का क्षरण हो गया था एवं अवधि के दौरान इन क्षेत्रों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। शहरी विकास क्षेत्र का आरओई 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋणात्मक था क्योंकि इस क्षेत्र को तीनों वित्तीय वर्षों के दौरान हानि वहन की थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने ₹ 0.05 करोड़[40] लाभ अर्जित किया, जो शेयरधारकों के कोष (₹ 204.45 करोड़) की तुलना में नगण्य था। इसलिए, आरओई भी नगण्य था।

हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

1.26 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगमों) में से 13 राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान हानि वहन की। इन राजकीय उपक्रमों द्वारा 2020-21 में वहन की गई हानि (₹ 4046.23 करोड़), 2019-20 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि (₹ 489.54 करोड़) की तुलना में सारभूत रूप से बढ़ गई, जैसा कि **तालिका 1.16** में दिया गया है:

तालिका 1.16: 2020-21 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल राजकीय उपक्रम	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिये शुद्ध हानि	हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संचित हानि	हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य
2018-19	43	13	747.61	7974.40	-704.78
2019-20	41	13	489.54	7229.06	-4283.19
2020-21	41	13	4046.23	74246.59	-38830.52

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों

39 ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

40 राजकीय उपक्रम के नवीनतम अंतिम रुप दिए गये वित्तीय विवरण।

के नाम **तालिका 1.17** में नीचे दिए गये है।

तालिका 1.17:2020-21 में ₹ 100 करोड़ या अधिक हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	वहन की गई हानि
1	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल)	1731.68
2	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	1031.23
3	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	660.75
4	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (जीएलपीएल)	334.44
5	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	217.06

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले इन राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र के तीन राजकीय उपक्रम (आरआरवीयूएनएल, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) महत्वपूर्ण रूप से लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों से सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों में परिवर्तित हो गए। आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार के निर्णय (सितंबर 2021) की अनुपालना में, आरआरवीयूएनएल ने 2019-20 एवं 2020-21 हेतु तीन राज्य डिस्कॉम्स के अपने ऊर्जा बिलों के समक्ष लगाए गए प्रभारों, ₹ 1811.74 करोड़ पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) प्रभारों को वापस ले लिया, जिसने इसकी लाभप्रदता को प्रभावित किया। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के मामले में, उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी, योजना के 2019-20 में समाप्त होने के कारण, 2020-21 से बंद कर दी गई थी। परिणामस्वरुप, इन राजकीय उपक्रमों के कार्यशील परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए एवं ये राजकीय उपक्रम शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों से 2020-21 में सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों में परिवर्तित हो गए। साथ ही, अन्य दो राजकीय उपक्रम (जीएलपीएल एवं आरएसआरटीसी) 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटे में रहे।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (यूएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.02 करोड़ की हानि वहन की।

निवल मूल्य का क्षरण

1.27 निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

41 राजकीय उपक्रमों में उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार पूँजी निवेश, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य **तालिका 1.18** में दिया गया हैः

तालिका 1.18: 2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2018-19	49288.17	(-)97771.82	3.00	(-)48486.70
2019-20	51383.84	(-)94469.51	62.48	(-)43148.15
2020-21	51787.33	(-)97441.97	59.62	(-)45714.26

वर्ष 2020-21 के लिए निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 15 राजकीय उपक्रमों में निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33754.35 करोड़ एवं ₹ 96491.58 करोड़ थी। इन 15 राजकीय उपक्रमों में से निवल मूल्य का अधिकतम क्षरण पाँच राजकीय उपक्रमों में था, जैसा कि **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.19 31 मार्च 2021 को अधिकतम निवल मूल्य क्षरण वाले पांच राजकीय उपक्रम

राजकीय उपक्रम का नाम	क्षरित निवल मूल्य (₹ करोड़ में)
ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रम	
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)20859.63
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)18119.18
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)17482.87
गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	(-)1507.22
ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमो के अतिरिक्त	
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	(-)4547.84

इन 15 राजकीय उपक्रमों, जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से पाँच[41] राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 177.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें मुख्य रूप से एवीवीएनएल (₹ 175.73 करोड़) का योगदान था। 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने के उपरांत भी, वर्ष के अंत में इन राजकीय उपक्रमों की संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

राजकीय उपक्रमों की संचालन क्षमता

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.28 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी राजकीय उपक्रम की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

41 आरएसआईसीएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एवं आरएसएलडीसी।

आरओसीई की गणना एक राजकीय उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[42] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान समस्त 41 राजकीय उपक्रमों के आरओसीई का विवरण **तालिका 1.20** में दिया गया है:

तालिका 1.20: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2018-19	16085.07	61905.70	25.98
2019-20	18276.19	61841.88	29.55
2020-21	12817.05	64151.99	19.98

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

राजकीय उपक्रमों का आरओसीई 2019-20 में 29.55 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 19.98 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्य रूप से 2020-21 से उदय के तहत सब्सिडी समाप्त किए जाने के कारण ईबीआईटी में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई थी। साथ ही, राजकीय उपक्रम 2018-19 से 2020-21 के दौरान 19.98 से 29.55 प्रतिशत तक ही आरओसीई दर्ज कर सके क्योंकि अत्यधिक संचित हानियों ने नियोजित पूंजी उल्लेखनाय रूप से कम कर दी थी।

41 राजकीय उपक्रमों में से 22 राजकीय उपक्रमों में ₹ 103639.48 करोड़ की संचित हानियां थी, जिसमें से ₹ 97604.74 करोड़ एवं ₹ 5575.16 करोड़ क्रमशः छः [43] ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों एवं दो[44] ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित थे।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई **तालिका 1.21** में दिया गया है:

42 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकडे राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

43 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल।

44 आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल।

तालिका 1.21: 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई

(प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1.	ऊर्जा एवं पॉवर	28.86	32.87	21.29
2	उद्योग एवं व्यापार	9.10	11.57	16.82
3	वित्त	18.20	21.00	21.70
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	16.69	17.01	16.32
5	अन्य	11.06	12.51	10.36

ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र के आरओसीई में 2020-21 के दौरान गत वर्षों की तुलना में अत्यधिक गिरावट हुई। क्षेत्र के आरओसीई में गिरावट मुख्य रूप से 2020-21 से उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद करने के कारण थी क्योंकि यह योजना 2019-20 तक प्रभावी थी। महत्वपूर्ण कमी के उपरांत भी, इस क्षेत्र का आरओसीई 21.29 प्रतिशत रहा क्योंकि नियोजित पूंजी अत्यधिक संचित हानियों के कारण सारभूत रूप से कम हो गई थी। साथ ही, 2018-19 के 2020-21 हेतु दो क्षेत्रों[45] के आरओसीई की गणना ऋणात्मक नियोजित पूँजी के कारण नहीं की जा सकी जबकि एक क्षेत्र[46] की आरओसीई 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋणात्मक थी, क्योंकि तीनो वित्तीय वर्षों के दौरान इसने हानि वहन की थी।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के प्रकरण में वर्ष 2020-21 के लिए ईबीआईटी ₹ 0.54[47] करोड़ थी जबकि इन राजकीय उपक्रमों में नियोजित पूँजी ₹ 621.21 करोड़ थी। इसलिए, 2020-21 के लिए आरओसीई की गणना 0.09 प्रतिशत परिकलित की गई।

टर्नओवर के समक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन

1.29 राजकीय उपक्रम के टर्नओवर के समक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन यह मापता है कि एक अवधि के दौरान अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में कितना लाभ उत्पन्न होता है। यह एक राजकीय उपक्रम के वित्तीय स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह हितधारकों को राजकीय उपक्रम की परिचालन दक्षता की निगरानी करने एवं यह आंकलन करने में सहायता करता है कि क्या यह अपने टर्नओवर से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहा है। इसकी गणना राजकीय उपक्रम के टर्नओवर के समक्ष प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों की शुद्ध लाभ मार्जिन का विवरण **तालिका 1.22** में दिया गया है:

---

45 संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

46 शहरी विकास क्षेत्र।

47 जेएससीएल से संबंधित

तालिका 1.22: शुद्ध लाभ सीमा

वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ मार्जिन (%)
2018-19	2537.14	75179.32	3.37
2019-20	3353.56	82793.75	4.05
2020-21	-2813.91	86986.44	-3.23

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

सभी राजकीय उपक्रमों की शुद्ध लाभ मार्जिन 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया। रूपांतरण मुख्य रूप से वर्ष के दौरान तीन राज्य डिस्कॉम्स के कार्यशील परिणामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण हुआ। उच्च आरओसीई के उपरांत भी, शुद्ध लाभ मार्जिन कम था क्योंकि ब्याज घटक सारभूत था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ मार्जिन **तालिका 1.23** में दिया गया है:

तालिका 1.23: क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ मार्जिन

(आंकड़ेः प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	3.85	4.56	-4.76
2	उद्योग एवं व्यापार	10.75	9.05	21.75
3	वित्त	0.50	0.94	1.29
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	9.89	9.76	9.76
5	संस्कृति एवं पर्यटन	-20.35	-10.92	-10.92
6	परिवहन	-9.57	-8.92	-12.85
7	शहरी विकास	-48.40	-231.72	-76.99
8	अन्य	2.32	3.06	2.37

स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान शुद्ध लाभ मार्जिन दो क्षेत्रों (क्रम संख्या 2 एवं 4) में सारभूत था। इन दो क्षेत्रों का उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन मुख्य रूप से तीन राजकीय उपक्रमों[48] के कारण था, जिन्होंने बाजार में अपने एकाधिकार लाभ के कारण एवं सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाले व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया था। साथ ही, ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र का शुद्ध लाभ मार्जिन, उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने के कारण, 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया। शेष पांच क्षेत्रों में शुद्ध लाभ मार्जिन या तो नकारात्मक रहा या नगण्य रहा।

48 आरएसएमएम, आरआईआईसीओ, आरएसडब्ल्यूसी

सरकार के निवेश पर प्रतिफल

1.30 राजकीय उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में अर्जित (लाभ अथवा हानि) से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है।

सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में सारभूत निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। इसलिए, सरकारी निवेश पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के साथ-साथ राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर की गई है जिसे नीचे विस्तृत वर्णित किया गया है:

अ. सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (आरओआर)

राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में राजकीय उपक्रमो में किये गये निवेश के आधार पर आरओआर की गणना की गई है। केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इन ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, यह सरकार द्वारा किए गये पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं सिवाय इसके कि ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है। साथ ही, अनुदान/सब्सिडी के रुप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स को दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम्स के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी प्रदान की गयी थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रकार से अर्थात उदय के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नहीं मानते हुए की गई है।

ब. सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) के आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2021 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में पूर्व निवेश/वर्षवार निवेशित निधि को चक्रवृद्धित किया गया है। चक्रवृद्धि, सरकारी उधार की वर्षवार औसत ब्याज दर पर किया गया है, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना,

जहाँ राज्य सरकार द्वारा इन राजकीय उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2021 तक धन का निवेश किया गया है, के संबंध में की गई है।

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

1.31 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं निगमों) मे 31 मार्च 2021 को निवेश की राशि ₹ 1,61,988.60 करोड़ थी, जिसमे पूँजी के रूप में ₹ 51,787.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1,10,201.27 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार ने इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 32 में पूँजी, ऋण एवं अनुदान व सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है। इन 32 राजकीय उपक्रमों में, 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 57167.80 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 49536.73 करोड़[49] एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में ₹ 7631.07 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों में से ₹ 2267.98 करोड़ के ऋण ब्याज मुक्त ऋण थे। इस प्रकार, इन 32 एसपीएसई में निवेशित पूँजी एवं शुद्ध ब्याज मुक्त ऋणों को देखते हुए, राज्य सरकार का 2020-21 के अंत में ऐतिहासिक लागत पर निवेश ₹ 51,804.71 करोड़ था। राज्य सरकार ने अन्य नौ राजकीय उपक्रमों में निधियों का कोई भी प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा 2000-01 से 2020-21 की अवधि के लिए निवेशित ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य के समक्ष निवेश का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1.4** में दर्शाया गया है। 2000-01 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल आय की तुलना में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल (उदय के बिना के साथ-साथ उदय के साथ) के वर्षवार विवरण **चार्ट 1.6** में दिए गये हैः

49 राज्य सरकार का कुल निवेश (₹ 50934.59 करोड़) - पाँच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों की प्रारंभिक संचित हानियां (₹ 1397.86 करोड़)

चार्ट 1.6: कुल आय की तुलना में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल

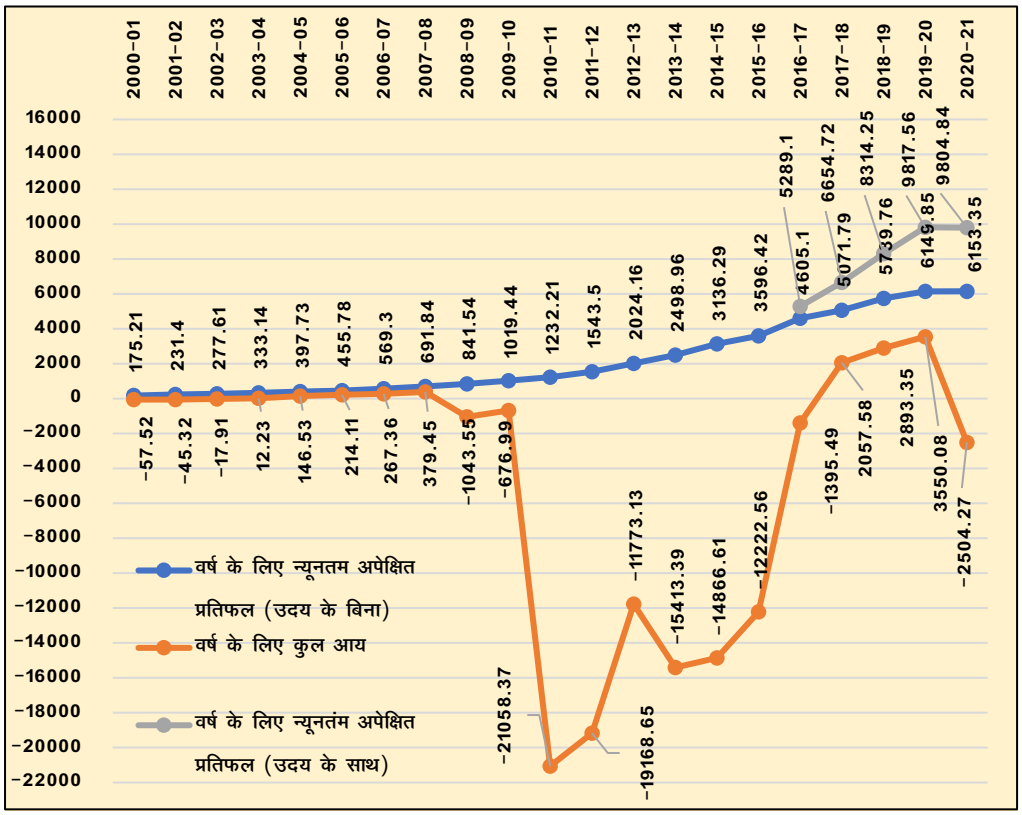

स्रोतः अनुबंध 1.4

यह देखा जा सकता है कि 2000-01 से 2020-21 के दौरान, 2003-04 से 2007-08 एवं 2017-18 से 2019-20 को छोड़कर, सभी वर्षों में कुल आय नकारात्मक रही थी। यह इन राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों की लागत की वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रही।

इन 32 राजकीय उपक्रमों की वर्ष के लिए कुल आय (लाभों एवं हानियों का शुद्ध) 2018-19 में ₹ 2893.35 करोड़ के लाभ से 2020-21 में मुख्य रूप से उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने के कारण ₹ 2504.27 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया।

राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, में 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आरओआर एवं आरओआरआर **तालिका 1.24** में दी गई है।

तालिका 1.24: सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल अर्जन/ हानि (-)	वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआर (%)	वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआरआर (%)
उदय के बिना					
2018-19	2893.35	49088.66	5.89	84366.64	3.43
2019-20	3550.08	51339.66	6.91	92767.49	3.83
2020-21	-2504.27	51804.71	-4.83	99385.89	-2.52
उदय के साथ					
2018-19	2893.35	82088.66	3.52	122208.06	2.37
2019-20	3550.08	98156.13	3.62	148093.09	2.40
2020-21	-2504.27	98621.18	-2.54	158362.98	-1.58

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋणों को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार का निवेश उनकी ऐतिहासिक लागत पर 2018-19 में ₹ 49088.66 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 51804.71 करोड़ हो गया। उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी को निवेश के रूप मे मानने पर, राज्य सरकार का निवेश 2018-19 में ₹ 82088.66 करोड़ (यथा उदय के अन्तर्गत 2018-19 तक प्राप्त ₹ 33000 करोड़ की सब्सिडी सहित) से बढकर 2020-21 में ₹ 98621.18 करोड़ (यथा 2019-20 में उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी ₹ 13816.47 करोड़ सहित) हो गया। चूंकि इन राजकीय उपक्रमों का कुल अर्जन 2018-19 एवं 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया, इसलिए आरओआर एवं आरओआरआर दोनों नकारात्मक हो गए। वर्ष 2020-21 के लिए आरओआर (उदय के बिना) (-) 4.83 प्रतिशत था जो उदय को विचार करने पर (-) 2.54 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के लिए आरओआरआर (उदय के बिना) (-) 2.52 प्रतिशत था जो उदय को विचार करने पर (-) 1.58 प्रतिशत हो गया।

2020-21 के दौरान 32 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल दर को **तालिका 1.25** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.25: राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	कुल अर्जन/हानि (-)	वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआर (%)	वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआरआर (%)
1	ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के बिना)	-3122.32	46901.67	-6.66	84816.13	-3.68
	ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के साथ)	-3122.32	93718.14	-3.33	143793.22	-2.17
2	उद्योग एवं व्यापार	667.62	475.35	140.45	4883.09	13.67
3	वित्त	90.14	272.34	33.10	545.19	16.53
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	94.05	66.27	141.92	370.95	25.35
5	संस्कृति एवं पर्यटन	-6.86	83.71	-8.19	371.39	-1.85
6	परिवहन	-217.02	1246.99	-17.40	3468.56	-6.26
7	शहरी विकास	-56.62	2636.06	-2.15	4590.06	-1.23
8	अन्य	46.74	122.32	38.21	340.51	13.73

वर्ष 2020-21 के दौरान, चार क्षेत्रों (क्रमांक 1 और 5 से 7) में सरकारी निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक था जबकि अन्य चार क्षेत्रों (क्रमांक 2 से 4 और 8) में, यह सकारात्मक था। उद्योगों एवं व्यापार तथा कृषि, खाद्य एवं संबद्ध उद्योगों में, ऐतिहासिक लागत पर आरओआर क्रमशः140.45 प्रतिशत तथा 141.92 प्रतिशत था, जबकि आरओआरआर वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 13.67 प्रतिशत एवं 25.35 प्रतिशत था, जो निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए वास्तविक रूप में प्रतिफल दर्शाता है।